बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प

बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग नियमावली, 2010 विभागीय अधिसूचना सं०–508, दिनांक–12.03.2010 द्वारा अधिसूचित है। अधिसूचित संवर्ग नियमावली के कंडिका–11(क) (1) में प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद से अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति गठित है । उक्त संवर्ग नियमावली के कंडिका–11(क) (1) में प्रावधानित प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद से अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति के स्थान पर सचिव, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति गठित किये जाने के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

तद्नुरूप प्रखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद से अनुमंडल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नरूपेण गठित की जाती हैं :–

(i)	प्रधान सचिव / सचिव अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	–	अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का न हो	–	सदस्य
(iii)	निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	–	सदस्य
(iv)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी	–	सदस्य

2. शेष उच्चतर पदों पर प्रोन्नति समिति यथावत रहेगी ।

3. प्रस्ताव में संचिका संख्या 1जी0 / ई0 जि0 क0–20–16 / 2012 के माध्यम से सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव
28.1.12

ज्ञापांक-1जी0/ई0जि0क0-20-16/2012- 148 पटना, दिनांक- 28.01.2013

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के सचिव।
28.1.13

ज्ञापांक-1जी0/ई0जि0क0-20-16/2012- 148 पटना, दिनांक- 28.01.2013

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।
28.1.13

ज्ञापांक-1जी0/ई0जि0क0-20-16/2012- 148 पटना, दिनांक- 28.01.2013

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।
28.1.13